

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राजकोषीय स्थिति

राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय, 2013-14 से तुलनात्मक रूप में 2017-18 में बढ़ा है। राजस्व प्राप्तियों को छोड़कर उनके वृद्धि दर को मुद्रास्फीति (स्थिर मुल्य पर) से गणना करने पर 2017-18 में कमी हुई है। विशेष रूप से पूँजी निर्माण की वृद्धि दर पिछले वर्ष से काफी कम था।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य ने राजस्व अधिशेष का लक्ष्य हासिल किया लेकिन यह बकाया ऋण से जी0एस0डी0पी0 के अनुपात को हासिल नहीं कर सका। 14वें वित्त आयोग एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल हुआ परंतु बजट अनुमानों के अनुसार यह नहीं था।

(कंडिका 1.1.2)

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2013-14 में ₹ 2,892 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 5,251 करोड़ हो गया है जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय तथा साथ ही साथ ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे।

(कंडिका 1.1.2.2)

संसाधन संग्रहण

2016-17 से 2017-18 में राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 11,862 करोड़ (11 प्रतिशत) वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राकलन से ₹ 19,711 करोड़ कम था।

2016-17 से 2017-18 में राजस्व व्यय ₹ 7,859 करोड़ (आठ प्रतिशत) बढ़ा, लेकिन यह बजट प्राकलन से ₹ 19,979 करोड़ कम था।

2016-17 से 2017-18 में पूँजीगत व्यय ₹ 1,699 करोड़ (छः प्रतिशत) ज्यादा था, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 3,289 करोड़ कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का सारांश

सहायता अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में ₹ 5,161.11 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण राजस्व घाटे के क्षतिपूर्ति (₹ 3,041 करोड़) के रूप में थी।

(कंडिका 1.2.2.4)

प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 17,778.74 करोड़), पेंशन (₹ 14,293.48 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 9,053.78 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 5,023.06 करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 46,149.06 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 66,673 करोड़) का 69.22 प्रतिशत है।

(कंडिका 1.3.4)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

वी0एल0सी0 आँकड़े के जाँच से यह पता चला कि 2005–06 से 2017–18 के कुल अंशदान ₹ 3,891.21 करोड़ में से केवल ₹ 3,762.93 करोड़ ही एन0एस0डी0एल0 को हस्तारित किए गए, शेष ₹ 128.28 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8011 एवं 8342 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 41.32 करोड़ एवं ₹ 86.96 करोड़) का योजना प्रावधानों के अनुसार अग्रतर निवेश हेतु एन0एस0डी0एल0 को स्थानान्तरित किया जाना था। इस प्रकार वर्तमान दायित्व भविष्य के वर्षों में चली गयी।

वित्त विभाग के आँकड़ों के जाँच से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा अंशदानों पर ब्याज की गणना नहीं की गयी। इसके अलावा वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2017–18 तक बिहार सरकार द्वारा संबंधित शीर्ष 2049–03–117–0001 में ब्याज का भुगतान/स्थानान्तरण नहीं किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों से संबंधित निधि का दोषपूर्ण उपयोग किया गया, फलस्वरूप कर्मचारियों को प्रतिलाभ की दर/सरकार के परिहार्य वित्तीय दायित्व की संभावित अनिश्चितता होगी तथा योजना खुद में असफल होगी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अविलंब इस तरह की कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ मिल सके। ऐसा पूर्णतः कर्मचारियों के अंशदान की कटौती एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान की कटौती कर राशि को पूर्णतः एन0एस0डी0एल0 को ससमय स्थानान्तरित कर किया जाना है।

(कंडिका 1.3.4.1)

लोक व्यय की पर्याप्तता

विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, पूँजीगत व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय की दर कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, कुल व्यय में शिक्षा का अंश चार वर्षों की अवधि में 2017–18 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कंडिका 1.3.5.1)

अपूर्ण परियोजनाएँ

वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक पूर्ण होने वाली कुल 127 परियोजनाओं जिनका अनुमानित लागत ₹ 1,819.64 करोड़ था, में से मात्र तीन परियोजनाओं का ही लागत संशोधन किया गया। शेष 124 कार्यों की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 1,798.64 करोड़ थी, उनका लागत संशोधन का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके। सभी लंबित परियोजनाओं का संशोधित अनुमान तैयार कर किया जाना चाहिए और परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधि का वास्तविक मूल्यांकन प्राथमिकता के आधार पर उनका अनुमोदन करवाना चाहिए।

(कंडिका 1.4.2)

निवेश पर प्रतिलाभ

2013–18 की अवधि में सरकार की उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को ₹ 3,479.32 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को जैसे इकाईयों जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी हाल में, जिन इकाईयों के लेखे बकायें में हैं, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

(कंडिका 1.4.3)

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

विभिन्न इकाईयों में ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों से बढ़ कर 31 मार्च 2018 को ₹ 7,823.47 करोड़ हो गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं किया है।

(कंडिका 1.4.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार छः आरक्षित निधियों का संचालन करती है। चार आरक्षित निधियों यथा मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियों, अकाल राहत निधियों, विकास एवं कल्याण निधियों, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में पिछले 17 से 18 वर्षों में कोई लेन-देन नहीं हुआ था।

अनुशंसा: वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को जैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(कंडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्यों को सभी प्रकार के ऋणों जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय सूक्ष्म बचत निधि पर दायित्व इत्यादि हेतु परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का स्थापना करना चाहिए और इन निधियों के ऋणों के परिशोधन को छोड़कर और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है के निर्देशानुसार वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित किया जाना है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि का स्थापना किया जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था जबकि 2014–15 से इसका प्रयोग सरकार के सभी बकाया देयताओं के परिशोधन के लिए किया जाना था। 31 मार्च 2018 को निधि का अंत शेष ₹ 4,111.24 करोड़ था।

(कंडिका 1.5.2.1)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

1 अप्रैल 2017 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 696.39 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 721.32 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी और प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,417.71 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2018 को निधि में अंतिम शेष ₹ छः हजार रह गया।

(कंडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया।

(कंडिका 1.5.3)

सार्वजनिक ऋण की निवल उपलब्धता एवं लोक लेखे दायित्व

राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 80 से 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग उधारी के पुनर्भुगतान तथा इसके ब्याज अदायगी के रूप में किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा विकासात्मक क्रियाओं में कम खर्च किया गया है।

(कंडिका 1.6.1)

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

डिस्कॉम के पुनरुद्धार पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सहभागी ऋणदाता बैंकों को बॉन्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78 करोड़) का अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत जारी बॉन्ड पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹ 191.36 करोड़ ब्याज की अदायगी की गई।

(कंडिका 1.6.3)

बचत

2017-18 में कुल अनुदान/विनियोग ₹ 1,87,343.96 करोड़ के विरुद्ध ₹ 46,396.66 करोड़ (25 प्रतिशत) का बचत हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 30,899.89 करोड़ (33 प्रतिशत) हुए। कुल अनुदान या विनियोग और व्यय के बीच महत्वपूर्ण अन्तर (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक), नौ अनुदानों/विनियोजनों के तहत ₹ 11,046.78 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। विगत पाँच वर्षों के दौरान 25 अनुदानों से संबंधित 27 मामलों में ₹ 24,318.74 करोड़ और अधिक की सतत् बचत हुए (₹ 100.34 करोड़ से ₹ 8,534.72 करोड़ के बीच)। 42 मामलों में शामिल 38 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 16,290.56 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

(कंडिका 2.2, 2.3.1, 2.3.2 और 2.3.3)

निधियों का अभ्यर्पण

₹ 46,396.66 करोड़ के कुल बचत में से ₹ 34,570.64 करोड़ का अभ्यर्पण हुआ और ₹ 11,826.02 करोड़ (कुल बचत का 25 प्रतिशत) व्यपगत हुआ। आगे, ₹ 19,042.51 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 55 प्रतिशत) का

अभ्यर्पण मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया। 35 अनुदानों/विनियोजनों (₹ 3,591.68 करोड़) के अन्तर्गत 189 लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (प्रत्येक मामले में पाँच लाख से अधिक) का अभ्यर्पण हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को निधियों का ससमय अभ्यर्पण सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा अभ्यर्पण को कमतर करने के लिए ससमय बजट जारी करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(कंडिका 2.2 और 2.3.5)

सघन व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान 18 विभागों द्वारा ₹ 19,664.66 करोड़ (उनके ₹ 25,196.70 करोड़ के कुल व्यय का 78.04 प्रतिशत) अंतिम तिमाही में किया गया। इसमें से ₹ 18,549.06 करोड़ (उनके कुल व्यय का 73.62 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2018 में किया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।

(कंडिका 2.3.8)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि कोष (₹ 350 करोड़) को नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। 2017-18 में राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता निधि कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 6,403.42 करोड़ कर दिया गया। इसकी तुलना में भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,949.21 करोड़ की राशि के 126 आहरण किये गये। जिनमें से कुल ₹ 314.49 करोड़ (6.35 प्रतिशत) के 35 आहरण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किये गए।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि कोष में ऐसी वृद्ध वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल तात्कालिक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है। वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय के नियमितीकरण के समय इन शर्तों के सभी उल्लंघन को विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना चाहिए।

(कंडिका 2.4)

असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

विभागाध्यक्षों ने 2017-18 के दौरान क्रमशः प्राप्तियों के 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 18,909.57 करोड़ एवं व्यय के 102 मुख्य शीर्षों ₹ 1,19,427.35 करोड़ का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए, जिसमें नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्यता कर देनी चाहिए कि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान करें।

(कंडिका 2.6)

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

मार्च, 2018 तक मौजूदा 174 पी0डी0 खातों में ₹ 5,888.45 करोड़ शेष था। 174 व्यक्तिगत जमा खातों में से 94 खाते 47 कोषागारों में विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे जिसमें से 89 में शेष शून्य और पाँच पी0डी0

खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि बजटीय एवं वित्तीय नियमों के विरुद्ध अव्ययित थी। शेष राशि में से ₹ 65.77 करोड़ की अव्ययित राशि, कालातीत होने से बचने के लिए नौ पी0 डी0 खातों में लगातार पाँच वर्षों से अधिक से पड़ा रहा। अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) सभी पी0डी0 खाते, जिनमें शून्य/न्यूनतम शेष राशि हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए; (ii) सभी राशियाँ जो पी0डी0 खातों में पड़े हैं उन्हें वर्ष की समाप्ति पर शीघ्रता से संचित निधि में प्रेषित किया जाए; (iii) उन विभागीय और कोषागार पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए जो पी0डी0 खातों से संबंधित वित्तीय नियमों के पालन में असफल रहे।

(कंडिका 3.1)

भवन और अन्य निर्माण कार्यों के श्रमिकों (भ0अ0नि0श्र0) के लिए कल्याण उपकर का लेखांकन

बिहार सरकार द्वारा भ0अ0नि0श्र0 कल्याण उपकर के लेखांकन के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं पर प्राप्त श्रम उपकर को इन्द्राज करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड के लेखाओं को वर्ष 2015-16 तक ही अंतिमीकृत किया गया है।

अनुशंसाएँ: बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को लेखाओं के ससमय संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। बिहार सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर को संचित निधि के माध्यम से स्थानांतरित और उपकर के लेखांकन हेतु नियमावली भी तैयार करना चाहिए।

(कंडिका 3.2)

लेखाओं में अपारदर्शिता

सर्वव्यापी लघु शीर्ष “800-अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय” के अंतर्गत वर्गीकृत क्रमशः ₹ 1,607.18 करोड़ के राजस्व एवं ₹ 107.09 करोड़ का व्यय, वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता के अभाव को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्शानुसार सभी मदों की एक व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।

(कंडिका 3.3)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण

30 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (160 लेखाएँ) और 37 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (1,016 लेखाएँ) का लेखा बकाया क्रमशः 1 से 22 साल एवं 1 से 41 साल तक का है जो कि कम्पनी अधिनियम/निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने उन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ₹ 26,640.53 करोड़ बजटीय सहायता (इक्विटी, लोन, अनुदान और सब्सिडी) और स्वीकृत देयता (गारंटी) के माध्यम से दिया, जिनके लेखे मार्च 2018 तक बकाया थे।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाया लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।

(कंडिका 3.5)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जाना

35 विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 36,593.50 करोड़ (2,455 यू0सी0) के उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2018 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित कर सके। वित्त विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग, उस अवधि तक दोषी अनुदानग्राहियों को आगे कोई अनुदान जारी न करे।

(कंडिका 3.6)

लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

15,214 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 6,162.68 करोड़ मार्च 2018 तक विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण लंबित थे। इनमें से 491 विपत्रों पर ₹ 867.31 करोड़ (29.84 प्रतिशत) का आहरण मार्च 2018 में किया गया। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि को बढ़ावा देता है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के आगे तक लंबित एसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि एसी विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की पहल की जाय जो ए0सी0 विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।

(कंडिका 3.7)

निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में दर्शाए गए निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा प्रत्याभूतियों के आँकड़े वित्त विभाग, कोषागारों तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है। यद्यपि, यह पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से ये आँकड़े क्रमशः ₹ 645.26 करोड़, ₹ 163.33 करोड़ एवं ₹ 2,185.48 करोड़ भिन्न थे।

अनुशंसाएँ: राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों और प्रत्याभूतियों से संबंधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

(कंडिका 3.8)

राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा (नवम्बर 2000 से) उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेष राशि का विभाजन अब तक किया जाना शेष है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।

(कंडिका 3.10)

असमायोजित अस्थायी अग्रिम

आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित अस्थायी ₹ 145.24 करोड़ के अस्थाई अग्रिम की राशि वर्ष 1983 के बाद से समायोजन हेतु लंबित था। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा-पूरा है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अव्ययित राशियों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।

(कंडिका 3.13)

राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 227.06 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति 2017-18 में हुई।

(कंडिका 3.14)